मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2010—फाल्गुन 7, शक 1931

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. 470-2455-2009-2-अड़तीस.—राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ एवं पिछड़ा वर्ग के विकलांग विद्यार्थियों को शोध उपाधि (पी.एच.डी.) करने हेतु पुरुस्कार प्रदान करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है. यह योजना सतत् निरंतर चलेगी. इस प्रोत्साहन पुरुस्कार योजना के नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार है:—

(1) यह नियम मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों को शोध उपाधि के लिये प्रोत्साहन पुरुस्कार योजना नियम, 2009 कहलायेंगे.

(2) **पात्रता.**— ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश का मूलनिवासी हो—

1. जिसने पी.एच.डी. के शोध कार्य हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में शोध उपाधि हेतु शोध उपाधि समिति में पंजीयन करने का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो. प्राप्त किया हो.

2. स्नातकोत्तर उपाधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों.

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

4. छात्र-छात्राओं के पालकों की आय सीमा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा 1.00 लाख रुपये वार्षिक आय से अधिक न हो.

5. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें.

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे.

(3) वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसका पंजीयन इस नियमों के जारी होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा 1-4-09 के बाद किया गया हो.

(4) प्रोत्साहन राशि 3 चरणों में दी जायेगी.

1. शोध उपाधि के पंजीयन हेतु 10,000/- रुपये.

2. शोध निर्देशक की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधानकार्य की 60 प्रतिशत प्रगति पर रुपये 30,000/-

3. अनुसंधान कार्य पूर्ण करने एवं पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त होने पर रुपये 60,000/-

(5) उम्मीदवार जिस शोधकार्य के लिये पुरुस्कार राशि प्राप्त कर रहा है उसके लिए वह अन्य छात्रवृत्ति अथवा वजीफा प्राप्त नहीं करेगा. यदि उसे पूर्व से कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही हो तो इस पुरुस्कार राशि प्राप्त करने के लिये उस छात्रवृत्ति वजीफा छोड़ना पड़ेगा. अर्थात् एक समय में केवल एक ही राशि की पात्रता होगी. वह किसी प्रकार की शासकीय सेवा में भी कार्यरत न हो.

(6) 1. प्रोत्साहन पुरुस्कार राशि प्रदान करने के लिये चयन केवल विद्यार्थियों की संख्या की सीमा में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर बनाई गई चयन सूची में से क्रमानुसार छात्रों का चयन किया जावेगा.

2. यदि शोधार्थी संबंधित संकाय विषय में स्नातकोत्तर पर समान अंक प्राप्त करता है तो इसके अलावा स्नातक एम. फिल. एवं अतिरिक्त योग्यताधारक को प्राथमिकता दी जावेगी.

(7) मध्यप्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोध/शोधार्थियों को उपरोक्तानुसार अपने आवेदन पर निर्देशक से प्रमाणित करवाकर विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल को विनियम/अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा.

(8) शोध प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष 10 विद्यार्थियों को अधिकतम सीमा/कोटे के अधीन रहते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को निर्धारित राशि का भुगतान किया जावेगा. इस योजना का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा के समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों के कार्यालय द्वारा किया जावेगा. ऐसे सभी मामले जिनकी व्यवस्था इन नियमों में नहीं है, मैं आयुक्त उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा.

क्र. 472-2455-2009-2-अड़तीस.—माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नि:शक्त जन पंचायत में की गई घोषणा एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में नि:शक्त जन विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता देने का निर्णय लिया है. यह योजना सतत् है जो निरंतर चलेगी. इसे नि:शक्त जन विद्यार्थियों के जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना के नियम/मार्गदर्शन सिद्धांत निम्नानुसार हैं:—

(1) यह नियम मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत नि:शक्त जन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन शिक्षा प्राप्त करने हेतु जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना नियम, 2009 कहलायेंगे.

(2) **पात्रता.**—ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश का मूलनिवासी हों—

1. जिसने कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो.

2. 10+2 शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल से नियमानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों.

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

4. छात्र-छात्राओं के पालकों की आय सीमा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा 1.00 लाख रुपये वार्षिक आय से अधिक न हो.

5. मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें.

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नि:शक्तता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे.

(3) निर्वाह एवं परिवहन भत्ता राशि—निम्नानुसार प्रदान की जावेगी.

अ— कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में ली जाने वाली फीस.

ब— रुपये 1,500/- प्रतिमाह निर्वाह भत्ता.

स— नगर निगम क्षेत्र में 500/- तथा नगरपालिका क्षेत्र में 300/- रुपये प्रतिमाह परिवहन भत्ता.

(4) विद्यार्थी जिस शिक्षा के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता प्राप्त करेगा उसके लिये वह अन्य छात्रवृत्ति अथवा भत्ते प्राप्त नहीं करेगा. यदि उसे पूर्व से ही कोई छात्रवृत्ति/भत्ते प्राप्त हो रहे हों तो इन भत्तों को प्राप्त करने हेतु पूर्व के प्राप्त भत्ते या छात्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी. अर्थात केवल एक समय में एक ही छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी.

(5) कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने के लिये चयन केवल विद्यार्थियों की संख्या की सीमा में (10+2) स्तर पर प्राप्त शिक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर बनाई गई चयन सूची में क्रमानुसार छात्रों का चयन किया जावेगा.

(6) मध्यप्रदेश के बाहर शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को अपने आवेदन-पत्र संस्था प्रमुख/प्राचार्य के माध्यम से प्रमाणित कराकर आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल को विनियम/अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा.

(7) कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने हेतु 2000 विद्यार्थियों को अधिकतम सीमा/कोटे के अधीन रहते हुए विद्यार्थियों को निर्धारित राशि का भुगतान किया जावेगा.

(8) इस योजना का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा के समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों के कार्यालय द्वारा किया जावेगा.

(9) योजना की समीक्षा के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय व प्राचार्य द्वारा निश्चित अवधि में संचालनालय को प्रेषित की जावेगी.

(10) ऐसे सभी मामले जिनकी व्यवस्था इन नियमों में नहीं है, मैं, आयुक्त उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र सिंह रघुवंशी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.